न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारीः— महेश गगोरिया , उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

प्रकरण संख्या—47 / 2024 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

1. घीसी बाई पत्नी स्व. भुवाना, जाति मेघवाल, आयु 52 वर्ष, निवासी झरझनी तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. रामलाल पिता स्व. भुवाना, जाति मेघवाल, आयु 29 वर्ष, निवासी झरझनी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

................प्रार्थीगण

विरूद्व

1. दुर्गाशंकर पुत्र मोहन, जाति मेघवाल, आयु बालिग, निवासी झरझनी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. प्रभुलाल पुत्र रघुनाथ, जाति मेघवाल, आयु बालिग, निवासी झरझनी,तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. राधेश्याम पुत्र रघुनाथ,जाति मेघवाल, आयु बालिग, निवासी झरझनी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. जरिये भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।

............विपक्षीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम

प्रार्थी की ओर से उपस्थित : रईस अहमद मंसूरी

अप्रार्थी की ओर से :—लालचन्द प्रजापत अप्रार्थी संख्या 01,02

03 एकतरफा कार्यवाही व 04 पेरोकार सरकार।

दिनांकः— 22.10.2024

—ःआदेशः—

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया हैं कि ग्राम मौजा झरझनी प0ह0 झरझनी, भू.अ.नि. क्षेत्र बड़ोदिया, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 15 खसरा संख्या 1100, कुल किता 01, रकबा 0.7900 है0 भूमि प्रार्थीगण के नाम सहखातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थीगण के सहखातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना—पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्या 1100 के पडौसी खातेदार व प्रार्थीगण के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास मेब के बाडे में फसल को रखने को लेकर व आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प प्रार्थीगर्ण की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीगण को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया— प्रार्थीगण उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी [illegible] है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अ[illegible] 1, 2 मय अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 03 न्यायालय [illegible] के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। अप्रार्थी [illegible] जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के सभी बिन्दू स्वीकार माना [illegible] पत्थरगढी करवाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नही की। पत्रावली पर अप्रार्थी संख्या 0[illegible] पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर यदि सभी सहखातेदारान को पक्षकार बनाया गया है तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नही कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया। ....

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.07 13:00:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

—:आदेश:—

प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं ग्राम मौजा झरझनी प0ह0 झरझनी, भू.अ.नि. क्षेत्र बड़ोदिया, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 15 खसरा संख्या 1100, कुल किता 01, रकबा 0.7900 है0 भूमि प्रार्थीगण के नाम पर सहखातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/—रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 22.10.2024 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

(महेश गगोरिया) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.07 13:00:47 IST
Reason: SelfAttested